

Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Yogesh Kumar, Partner of M/s Aar Ess Stone Crusher, VPO Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 1,20,775 MTPA from Khasra Nos., 145,147,149,150,165,166,167,169 & 171 falling in Mauza & Mohal Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 03-53-76 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 10/06/2026 at 11:30 AM near Panchayat Ghar Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Yogesh Kumar, Partner of M/s Aar Ess Stone Crusher, VPO Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ @ 1,20,775 MTPA from Khasra Nos., 145,147,149,150,165,166,167,169 & 171 falling in Mauza & Mohal Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 03-53-76 Hectares (Private Land, Hill Slope), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 10/06/2026 at 11:30 AM near Panchayat Ghar Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, SDM Haroli, RTO Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annexure-I**.

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Shivalik Solid Waste Management Limited, Zirakpur, Punjab to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/Suggestions submitted
1.	Sh. Jasveer Singh, Village and Post Office Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He said that the stone crusher associated with the proposed mining lease is located approximately 3 km away from the village and that the vehicles engaged in transportation of mineral, whether loaded or empty, do	

		not pass through the village, as the mineral is generally transported to Punjab via the Garhshankar route. He further highlighted the presence of prominent religious shrines in and around the village and said that the promoters/partners of the stone crusher have been contributing to the welfare and development of the local community. Expressing satisfaction with their social contributions and conduct, he conveyed that the villagers have no objection to the proposed project and expressed hope that the project proponents would continue to take care of the interests and well-being of the local residents while carrying out their activities.	
2.	Sh. Nishant Rai, Gram Panchayat Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He stated that they have no objection to the operation of either of the stone crushers in the area, namely M/s Aar Ess Stone Crusher and M/s Lakhwinder Stone Crusher Unit-III. He mentioned that the promoters/proprietors of both units are very helpful and have consistently stood by the local people whenever any help or support was required.	The Worthy Additional Deputy Commissioner sought clarification as to whether the submission was being made with respect to the existing stone crushers or the proposed mining lease. In response, the participant clarified that his statement and support were intended for both the stone crushers operating in the area as well as the proposed mining lease project.
3.	Sh. Sanjeevan Kumar, VPO Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He stated that they have no objection to the operation of both the stone crushers functioning in the area. He mentioned that the units are located at a distance of approximately 3-4 km from the village and that the vehicles engaged in transportation activities do not pass through the village, as they generally transport material towards Punjab. He further stated that the project proponents have extended support to the village by providing construction material free of cost for the construction of temples and for other community development works undertaken in the village.	
4.	Sh, Jeevan Kumar, Village and Post Office Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (H.P.),	He stated that they have no objection to the stone crusher as the project proponent provide sand and bajri free of cost to the villagers. He further stated that they have contributed towards the development of the village	

		and that the stone crusher is situated at a considerable distance from the village.	
5.	Sh. Anil Kumar, Village and Post Office Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (H.P.).	He stated that they have no problem with the operation of the stone crusher. He stated that the vehicles engaged in transportation activities do not pass through the village. He further stated that the project proponents provide sand and bajri free of cost to the villagers and mentioned that the promoters of the stone crusher have contributed significantly towards the development and welfare of the village.	

Thereafter, the Worthy Additional Deputy Commissioner enquired from the gathering whether any participant wished to make any further submission, suggestion, objection, or comment regarding the proposed project and invited such persons to come forward and express their views. He further informed that, in the absence of any further submissions, the public hearing proceedings would be concluded. Upon confirmation from the participants that no further issues or objections were to be raised, the public hearing was declared concluded.

It is pertinent to mention that a written objection from Sh. Rohit Katwal was also received separately through e-mail dated 09.06.2026, which is enclosed as **Annexure-II**.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.


Mahendra Pal Gurjar
Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)

श्री योगेश कुमार, पार्टनर मैसर्ज आर एस स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 145, 147, 149, 150, 165, 166, 167, 169 एवं 171, मौजा व मोहाल गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 03-53-76 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,20,775 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 10.06.2026 को सुबह 11:30 बजे, श्री योगेश कुमार, पार्टनर मैसर्ज आर एस स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 145, 147, 149, 150, 165, 166, 167, 169 एवं 171, मौजा व मोहाल गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 03-53-76 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,20,775 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर पंचायत घर गोंदपुर बुल्ला के पास, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ - 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, एस.डी.एम. हरोली, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट संलग्नक-1 के रूप में संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होंने पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध में जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, जीरकपुर, पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव	उत्तर
1.	श्री जसवीर सिंह, गाँव एवं डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि. प्र.)	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन पट्टे से संबंधित स्टोन क्रशर गाँव से लगभग 3 किमी की दूरी पर स्थित है तथा खनिज पदार्थों के परिवहन में लगे वाहन, चाहे भरे हुए हों या खाली, गाँव से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि खनिज पदार्थ का परिवहन सामान्यतः गढ़शंकर मार्ग के माध्यम से पंजाब की ओर किया जाता है। उन्होंने गाँव एवं उसके आस-पास स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया तथा कहा कि स्टोन क्रशर के प्रवर्तक/साझेदार स्थानीय समुदाय के कल्याण एवं विकास में योगदान दे रहे हैं। उनके सामाजिक योगदान एवं आचरण से संतुष्टि व्यक्त करते हुए, उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को प्रस्तावित परियोजना पर कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्होंने आशा व्यक्त की कि परियोजना प्रस्तावक अपनी गतिविधियों के संचालन के दौरान स्थानीय निवासियों के हितों एवं भलाई का ध्यान रखना जारी रखेंगे।	.
2.	श्री निशांत राय, ग्राम पंचायत	उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र में संचालित दोनों स्टोन क्रशरों, अर्थात् मैसर्ज आर एस स्टोन क्रशर एवं मैसर्ज लखविंदर सिंह स्टोन क्रशर	माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ने

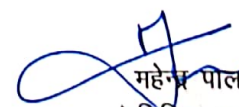
	गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना हि.प्र.)	यूनिट-III, के संचालन पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों इकाइयों के प्रवर्तक/मालिक अत्यंत सहायक हैं तथा जब भी किसी प्रकार की सहायता या समर्थन की आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने स्थानीय लोगों का साथ निभाया है।	प्रतिभागी से स्पष्टीकरण चाहा कि क्या यह उनके विचार पहले से स्थापित स्टोन क्रशरों के संबंध में की जा रही है अथवा प्रस्तावित खनन पट्टे के संबंध में। इसके जवाब में, प्रतिभागी ने स्पष्ट किया कि उनका कथन एवं समर्थन क्षेत्र में संचालित दोनों स्टोन क्रशरों तथा प्रस्तावित खनन पट्टा परियोजना, दोनों के लिए है।
3.	श्री संजीवन कुमार, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र में संचालित दोनों स्टोन क्रशरों के संचालन पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि ये इकाइयाँ गाँव से लगभग 3-4 किमी की दूरी पर स्थित हैं तथा खनन परिवहन गतिविधियों में लगे वाहन गाँव से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि वे सामान्यतः पंजाब की ओर सामग्री का परिवहन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना प्रस्तावकों ने गाँव में मंदिरों के निर्माण तथा अन्य सामुदायिक विकास कार्यों के लिए निःशुल्क निर्माण सामग्री प्रदान करके गाँव को सहायता प्रदान की है।	
4.	श्री जीवन कुमार, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें स्टोन क्रशर पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों को निःशुल्क रेत एवं बजरी प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने गाँव के विकास में योगदान दिया है तथा स्टोन क्रशर गाँव से काफी दूरी पर स्थित है।	
5.	श्री अनिल कुमार, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें स्टोन क्रशर के संचालन से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवहन गतिविधियों में लगे वाहन गाँव से नहीं गुजरते हैं। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों को निःशुल्क रेत एवं बजरी प्रदान करते हैं तथा बताया कि स्टोन क्रशर के प्रवर्तकों/मालिकों ने गाँव के विकास एवं कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।	

तत्पश्चात, माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ने उपस्थित जनसमूह से पूछा कि क्या किसी प्रतिभागी द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रस्तुति, सुझाव, आपत्ति या टिप्पणी देना चाहता है तथा ऐसे व्यक्तियों को आगे आकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि किसी अतिरिक्त प्रस्तुति के अभाव में, सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जाएगी। प्रतिभागियों द्वारा यह पुष्टि किए जाने पर कि कोई और मुद्दा या आपत्ति नहीं उठाई जानी है, सार्वजनिक सुनवाई को समाप्त घोषित कर दिया गया।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि श्री रोहित कटवाल से एक लिखित आपत्ति भी अलग से 09.06.2026 को ई.मेल के माध्यम से प्राप्त हुई जो अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष में हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने का धन्यवाद किया।


महेन्द्र पाल गुर्जर
अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)

Statements of the issues raised in the Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Yogesh Kumar, Partner of M/s Aar Ess Stone Crusher, VPO Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 1,20,775 MTPA from Khasra Nos., 145,147,149,150,165,166,167,169 & 171 falling in Mauza & Mchal Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 03-53-76 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 10/06/2026 at 11:30 AM near Panchayat Ghar Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Yogesh Kumar, Partner of M/s Aar Ess Stone Crusher, VPO Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ @ 1,20,775 MTPA from Khasra Nos., 145,147,149,150,165,166,167,169 & 171 falling in Mauza & Mohal Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 03-53-76 Hectares (Private Land, Hill Slope), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 10/06/2026 at 11:30 AM near Panchayat Ghar Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, SDM Haroli, RTO Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annexure-I**.

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Shivalik Solid Waste Management Limited, Zirakpur, Punjab to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the Statements of the issues raised in the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted
1.	Sh. Jasveer Singh, Village and Post Office Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He said that the stone crusher associated with the proposed mining lease is located approximately 3 km away from the village and that the vehicles engaged in transportation of mineral, whether loaded or empty, do not pass through the village, as the mineral is generally transported to Punjab via the Garhshankar route. He further highlighted the presence of prominent religious shrines in and around the village and said that the promoters/partners of the stone crusher have been contributing to the welfare and development of the local community. Expressing satisfaction with their social contributions and conduct, he conveyed that the villagers

		have no objection to the proposed project and expressed hope that the project proponents would continue to take care of the interests and well-being of the local residents while carrying out their activities.
2.	Sh. Nishant Rai, Gram Panchayat Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He stated that they have no objection to the operation of either of the stone crushers in the area, namely M/s Aar Ess Stone Crusher and M/s Lakhwinder Stone Crusher Unit-III. He mentioned that the promoters/proprietors of both units are very helpful and have consistently stood by the local people whenever any help or support was required.
3.	Sh. Sanjeevan Kumar, VPO Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He stated that they have no objection to the operation of both the stone crushers functioning in the area. He mentioned that the units are located at a distance of approximately 3-4 km from the village and that the vehicles engaged in transportation activities do not pass through the village, as they generally transport material towards Punjab. He further stated that the project proponents have extended support to the village by providing construction material free of cost for the construction of temples and for other community development works undertaken in the village.
4.	Sh. Jeevan Kumar, Village and Post Office Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (H.P.),	He stated that they have no objection to the stone crusher as the project proponent provide sand and bajri free of cost to the villagers. He further stated that they have contributed towards the development of the village and that the stone crusher is situated at a considerable distance from the village.
5.	Sh. Anil Kumar, Village and Post Office Gondpur Bulla, Tehsil Haroli, District Una (H.P.).	He stated that they have no problem with the operation of the stone crusher. He stated that the vehicles engaged in transportation activities do not pass through the village. He further stated that the project proponents provide sand and bajri free of cost to the villagers and mentioned that the promoters of the stone crusher have contributed significantly towards the development and welfare of the village.

Thereafter, the Worthy Additional Deputy Commissioner enquired from the gathering whether any participant wished to make any further submission, suggestion, objection, or comment regarding the proposed project and invited such persons to come forward and express their views. He further informed that, in the absence of any further submissions, the public hearing proceedings would be concluded. Upon confirmation from the participants that no further issues or objections were to be raised, the public hearing was declared concluded.

It is pertinent to mention that a written objection from Sh. Rohit Katwal was also received separately through e-mail dated 09.06.2026, which is enclosed as **Annexure-II**.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.


Mahendra Pal Gurjar
 Additional Deputy Commissioner
 Una, Distt. Una (HP)

श्री योगेश कुमार, पार्टनर मैसर्स आर एस स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 145, 147, 149, 150, 165, 166, 167, 169 एवं 171, मौजा व मोहाल गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 03-53-76 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,20,775 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई में उठाए गए मुद्दों का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 10.06.2026 को सुबह 11:30 बजे, श्री योगेश कुमार, पार्टनर मैसर्स आर एस स्टोन क्रशर, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 145, 147, 149, 150, 165, 166, 167, 169 एवं 171, मौजा व मोहाल गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 03-53-76 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 1,20,775 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर पंचायत घर गोंदपुर बुल्ला के पास, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ - 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, एस.डी.एम. हरोली, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवों के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट संलग्नक-1 के रूप में संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होंने पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध में जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यवाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, जीरकपुर, पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह को दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव
1.	श्री जसवीर सिंह, गाँव एवं डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन पट्टे से संबंधित स्टोन क्रशर गाँव से लगभग 3 किमी की दूरी पर स्थित है तथा खनिज पदार्थों के परिवहन में लगे वाहन, चाहे भरे हुए हों या खाली, गाँव से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि खनिज पदार्थ का परिवहन सामान्यतः गढ़शंकर मार्ग के माध्यम से पंजाब की ओर किया जाता है। उन्होंने गाँव एवं उसके आस-पास स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया तथा कहा कि स्टोन क्रशर के प्रवर्तक/साझेदार स्थानीय समुदाय के कल्याण एवं विकास में योगदान दे रहे हैं। उनके सामाजिक योगदान एवं आचरण से संतुष्टि व्यक्त करते हुए, उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को प्रस्तावित परियोजना पर कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्होंने आशा व्यक्त की कि परियोजना प्रस्तावक अपनी गतिविधियों के संचालन के दौरान स्थानीय निवासियों के हितों एवं भलाई का ध्यान रखना जारी रखेंगे।
2.	श्री निशांत राय, ग्राम पंचायत गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र में संचालित दोनों स्टोन क्रशरों, अर्थात् मैसर्स आर एस स्टोन क्रशर एवं मैसर्स लखविंदर सिंह स्टोन क्रशर यूनिट-III, के संचालन पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों इकाइयों के प्रवर्तक/मालिक अत्यंत सहायक हैं तथा जब भी किसी प्रकार की सहायता या समर्थन की आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने स्थानीय लोगों का साथ निभाया है।

3.	श्री संजीवन कुमार, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र में संचालित दोनों स्टोन क्रशरी के संचालन पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि ये इकाइयाँ गाँव से लगभग 3-4 किमी की दूरी पर स्थित हैं तथा खनन परिवहन गतिविधियों में लगे वाहन गाँव से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि वे सामान्यतः पंजाब की ओर सामग्री का परिवहन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना प्रस्तावकों ने गाँव में मंदिरों के निर्माण तथा अन्य सामुदायिक विकास कार्यों के लिए निःशुल्क निर्माण सामग्री प्रदान करके गाँव को सहायता प्रदान की है।
4.	श्री जीवन कुमार, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें स्टोन क्रशर पर कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों को निःशुल्क रेत एवं बजरी प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने गाँव के विकास में योगदान दिया है तथा स्टोन क्रशर गाँव से काफी दूरी पर स्थित है।
5.	श्री अनिल कुमार, गांव व डाकघर गोंदपुर बुल्ला, तहसील हरोली, जिला ऊना हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि उन्हें स्टोन क्रशर के संचालन से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवहन गतिविधियों में लगे वाहन गाँव से नहीं गुजरते हैं। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों को निःशुल्क रेत एवं बजरी प्रदान करते हैं तथा बताया कि स्टोन क्रशर के प्रवर्तकों/मालिकों ने गाँव के विकास एवं कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ने उपस्थित जनसमूह से पूछा कि क्या किसी प्रतिभागी द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रस्तुति, सुझाव, आपत्ति या टिप्पणी देना चाहता है तथा ऐसे व्यक्तियों को आगे आकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी बताया कि किसी अतिरिक्त प्रस्तुति के अभाव में, सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जाएगी। प्रतिभागियों द्वारा यह पुष्टि किए जाने पर कि कोई और मुद्दा या आपत्ति नहीं उठाई जानी है, सार्वजनिक सुनवाई को समाप्त घोषित कर दिया गया।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि श्री रोहित कटवाल से एक लिखित आपत्ति भी अलग से 09.06.2026 को ई.मेल के माध्यम से प्राप्त हुई जो **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष में हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई में भाग लेने का धन्यवाद किया।


 महेंद्र पाल गुर्जर
 अतिरिक्त उपायुक्त
 ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)